E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2025; 7(10): 209-210
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 11-08-2025
Accepted: 12-09-2025

रोहित कुमार
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड, भारत

Corresponding Author:
रोहित कुमार
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड, भारत

डॉ. भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक चिंतन का स्वतंत्र भारत में योगदान

रोहित कुमार

DOI: https://www.doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i10c.723

सारांश
डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय समाज, राजनीति और संविधान निर्माण के प्रमुख शिल्पकारों में से एक थे, जिन्होंने सामाजिक समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों पर आधारित आधुनिक भारत की नींव रखी। उनका जीवन संघर्ष, विद्या, और समाज सुधार के अनवरत प्रयासों का प्रतीक है। इस शोध का उद्देश्य डॉ. अंबेडकर के राजनीतिक विचारों, लोकतंत्र की उनकी अवधारणा, और समाज में समानता तथा बंधुत्व की स्थापना के प्रति उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण करना है।
पद्धतिः इस अध्ययन में गुणात्मक (फनंसपजंजपअम) पद्धति अपनाई गई है। विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों, डॉ. अंबेडकर के भाषणों, ग्रंथों और संविधान सभा की बहसों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर उनके राजनीतिक चिंतन की प्रमुख अवधारणाओं को प्रस्तुत किया गया है।
परिणामः डॉ. अंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का तरीका बताया। उनके अनुसार सच्चा लोकतंत्र वह है जिसमें सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ समाप्त हों तथा प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानते हुए शक्ति के विभाजन, बहुदलीय व्यवस्था और प्रभावशाली विपक्ष की आवश्यकता पर बल दिया। वे मानते थे कि राजनीतिक समानता तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त न हो। संविधान में उन्होंने सभी वर्गों, विशेषतः दलितों, वंचितों, मजदूरों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक प्रावधान किए।
निष्कर्षः डॉ. अंबेडकर के विचार आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक आत्मा का आधार हैं। उनका चिंतन आज भी सामाजिक न्याय, समता और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लोकतंत्र के तीन स्तंभ माना, जो भारतीय संविधान की आत्मा बन गए। अंबेडकर का योगदान न केवल भारत के संविधान में बल्कि विश्व के मानवतावादी चिंतन में भी अमिट है।

कुटशब्दः डॉ. भीमराव अंबेडकर, लोकतंत्र, सामाजिक समानता, संविधान निर्माण, राजनीतिक विचार, बंधुत्व, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय

प्रस्तावना
डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 1891 में महाराष्ट्र से संबंध रखने वाली महार जाति में हुआ उनके पिताजी का नाम राम जी सतपाल एवं माता जी का नाम भीमाबाई था अंबेडकर अपने पिता की 14वीं संतान थे उनके पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात मेधावी होने के कारण बड़ौदा के महाराजा गायकवाड से छात्रवृत्ति मिल जाने पर उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1915 मे उच्च शिक्षा प्राप्त की इसके बाद उन्होंने अपने अथक परिश्रम के बल पर लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कोलंबिया और लंदन दोनों जगह से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और लंदन में कानून की शिक्षा पाकर वह बैरिस्टर भी बने भारत लौटकर व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता एवं भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार–प्रसार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइ।
डॉ अंबेडकर ने समकालीन भारत की राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में लोकतंत्र की समस्या का ओजस्वी विश्लेषण प्रस्तुत किया और इससे जुड़ी मान्यताओं के अनुरूप संवैधानिक विधि को स्थापित किया है लोकतंत्र की प्रचलित परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर ने यह विचार रखा की एक शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र ऐसी प्रक्रिया है

जिसमें रक्तपात के बिना जनसाधारण की सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जाते हैं यही लोकतंत्र की सच्ची कसौटी है परंतु सच्चा लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है एवं मिलजुल कर रहने का तरीका है जिसमें लोग आपस में अपने सारे दुख बांट लेते हैं वस्तुतः यह अपने नागरिकों के प्रति आदर और सम्मान की भावना व्यक्त करने का साधन है शासन प्रणाली के स्तर पर डॉ भीमराव अंबेडकर ने संसदीय लोकतांत्रिक को विशेष रूप से सराहा जिसमें स्वतंत्रता चर्चा के आधार पर सारे सार्वजनिक निर्णय किए जाते हैं डॉ अंबेडकर का विचार था कि संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि सामाजिक आर्थिक जीवन में घोर विषमता ना रहे अर्थात समाज में ऐसा ना हो कि सारा बोझ कुछ वर्गों पर डाल दिया जाए और सारे विशेषाधिकार किसी अन्य वर्ग के हिस्से में आ जाए ऐसा भेदभाव सामाजिक दरार को जन्म देता है संसदीय लोकतंत्र की सफलता की दूसरी शर्त है बहुदलीय प्रणाली और प्रभावशाली विपक्ष एवं बहुमत को सदैव अल्पमत के दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए डॉ अंबेडकर ने भारत में प्रचलित अस्पृश्यता की प्रथा का गहन विश्लेषण करके और इससे पीड़ित वर्गों को इससे मुक्ति की रहा दिखाकर सामाजिक न्याय की लक्ष्य की पूर्ति का प्रयत्न किया था इस लक्ष्य का मूल मंत्र समानता का सिद्धांत है जिसे उनके द्वारा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया गया डॉ अंबेडकर युवा मानते थे कि मनुष्यों में केवल राजनीतिक और कानून के समक्ष समानता स्थापित करके समानता के सिद्धांत को पूरी तरह सार्थक नहीं किया जा सकता है जब तक उनमें सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित नहीं की जाती तब तक उनकी समानता अधूरी रहेगी भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय उन्होंने संविधान सभा में कहा था इस संविधान को अपनाकर हम विरोधाभासो से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं इसे राजनीतिक जीवन में तो हमें समानता प्राप्त हो जाएगी परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता बनी रहेगी राजनीतिक क्षेत्र में तो हम एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता प्रदान कर देंगे परंतु हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा इस ढंग से नहीं बदल जाएगा जिससे एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को सार्थक किया जा सके दूसरे शब्दों में समानता का सिद्धांत सच्चे अर्थ में तभी शर्त होगा जब मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक मुल्य को साकार किया जा सके

अंबेडकर ने अपने राजनीतिक चिंतन में स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व को बहुत अधिक महत्व दिया अंबेडकर ने स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधारभूत तत्व कहा क्योंकि स्वतंत्र राजनीतिक विचार विमर्श के बिना किसी प्रकार की लोक शिक्षा जो लोकप्रिय सरकार के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है और स्वतंत्र राजनीतिक विचार ही संकुचित अवधारणा से आगे जाती है। समानता में प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है चाहे वह किसी भी जाति ,धर्म, रंग और लिंग का हो । डॉ अंबेडकर ने बंधुत्व शब्द मैं मैं भाईचारे की भावनाओं को प्रकट किया है सभी भारतीय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का भाव रखेंगे जो सामाजिक जीवन में एकता और प्रेम की भावना को मजबूत करेगा और राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात करेगी

अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र नेता थे और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भी दलितों की राजनीतिक भविष्य पर चिंता व्यक्त करते थे इस प्रकार देखा जाए तो अंबेडकर का संपूर्ण जीवन संघर्ष एवं देश की एकता अखंडता को बनाए रखते हुए सभी वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए व्यतीत हुआ और स्वतंत्र भारत में संविधान के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी।

राज्य का स्वरूप

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचार के अंतर्गत राज्य के उदारवादी रूप का समर्थन किया गया है तथा इन्होंने कल्याणकारी राज्य की वकालत की है। डॉ. अम्बेडकर ने शक्ति के विभाजन पर आधारित शासन व्यवस्था का समर्थन किया है। अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका की शक्तियों में उचित विभाजन हो न कि शक्तियाँ एक ही जगह केंद्रित हों। अम्बेडकर के शब्दों में धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है। परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए मार्ग सुनिश्चित करती है।श इसी कारण इन्होंने संसदीय शासन पद्धति का समर्थन किया है। क्योंकि इनके अनुसार इस प्रणाली में वंशानुगत शासन नहीं होता, कोई व्यक्ति सत्ता का प्रतीक नहीं होता तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता का विश्वास जैसी विषेशताऐं विद्यमान है।

डॉ आंबेडकर का उद्देश्य समाज में सभी वर्ग भाईचारा बनाए रखते हुए आत्मसम्मान के साथ एक दूसरे का सहयोग कर सके उन्होंने समाज के सभी वर्गों, समुदायों, वंचित, शोषित एवं महिलाओं को समान अधिकार दिलाने एवं उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए के लिए संविधानमें उन मूल्यों स्थापित किया जिससे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार स्थापित हो सके।

स्वतंत्र मजदूर पार्टी के घोषणा पत्र के माध्यम से अंबेडकर द्वारा किसानों एवं मजदूरों की दयनीय आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान केंद्रित किया गया उनके शासनकाल में किसानों एवं मजदूरों के लिए आवश्यक कानूनी सुधार किए गए श्रमिक आंदोलन को बढ़ाने में अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान था 1936–37 में भारतीय स्वतंत्र श्रमिक दल का गठन उनके द्वारा किया गया 1937 में मुंबई विधान परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने किसानों और श्रमिकों को समस्या समाधान में योगदान दिया 1942–46 तक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में भूमिका में थे।

राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अनेक किताबें लिखीजिसमें एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, हूं वर शूद्रआस, आदि हैं। बाबा साहब अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान निर्माण के योगदान में महत्वपूर्ण साबित हुआ वह संविधान सभा में मसूदा समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो आज भी स्वतन्त्र भारत में आज भी प्रासंगिक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ओ0पी0 गावा–राजनीतिक विचारक।
2. बी0 आर0 अम्बेडकर–पाकिस्तान आर द पार्टीशन आफ इ. डया।
3. वी0 के0 त्रिपाठी–भारतीय राजनीतिक विचारक।
4. जी0 स0लेखा.डे, भीमराव रामजी अम्बेडकर, स्टडी इन सोशल डेमोक्रेसी, पृष्ठ 24
5. डॉ0 विरेन्द्र सिंह यादव–डॉ0 अम्बेडकर और भारतीय संविधान।